न्यायालय तहसीलदार बीकानेर

स्टेट बनाम भैराराम

मिसल नं0 02/19 निर्णय दिनांकः– 5/10/19

निर्णय

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 आएलआर एक्ट 1956

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बम्बलू ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल श्री भैराराम पुत्र श्री कोजाराम जाति नाई निवासी ग्राम बम्बलू ने ग्राम बम्बलू के खसरा नं0 455 के तादादी 0.47 हैक्टेयर में नाजायज रूप से अतिक्रमण कर राजकीय गै0मु0 पायतान भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार आचार्य तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। लेकिन उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी ने जान–बूझकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल श्री भैराराम पुत्र कोजाराम जाति नाई निवासी ग्राम बम्बलू ने ग्राम बम्बलू के खसरा नं0 455 में 0.47 हैक्टेयर में नाजायज रूप से अतिक्रमण कर तारबंदी करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार गैर सायल श्री भैराराम पुत्र कोजाराम जाति नाई निवासी ग्राम बम्बलू को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व की दर 1.2 रू प्रति हैक्टेयर से कुल अतिक्रमित भूमि 0.47 है0 से कुल रकम 0.564 का 50 गुणा राशि 23 रू0 का तावान से दण्डित किया जाता है । श्री भैराराम पुत्र कोजाराम जाति नाई निवासी ग्राम बम्बलू से पटवारी प0 ह0 बम्बलू तावान वसूल करें तथा अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त ~~बम्बलू~~ नौरंगदेसर तथा पटवारी प0ह0 बम्बलू को आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 4/10/19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

(कविता गोदारा)
तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार बीकानेर
बीकानेर